THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) There are 907 married and 206 unmarried regular nursing staff in the AIIMS including the Centres.

(b) and (c) No quarters were constructed in 1978-79. However, in 1980, 160 Type-Ill quarters were constructed and 80 quarters were allotted to married nurses. During 1983, 156 Type-Ill quarters were constructed, out of which 36 quarters were allotted to nurses as decided by the competent authority. During 1986,96 Type-II quarters were constructed and there was no understanding to allot these quarters to the nurses as these were lower category accommodation. In all, 166 quarters at present are in occupation of nurses.

(d) and (e) 200 Type-Ill quarters are under construction. These will be allotted as per policy decision to be taken by the competent authority.

बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण की धनराशि

3015. श्री राम जेठमलानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण की कुल धनराशि की लगभग 20 प्रतिशत धनराशि की औसत वार्षिक दर पर बट्टे खाते मं डाल दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों में अनियमितताओं पर निगरानी रखने और वापसी की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष वसूली न्यायाधिकरण और बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो ये निकाय कब गठित किये गये थे;

(ङ) क्या इन निकायों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन निकायों द्वारा अनियमितताओं के कितने मामले निपटाए गए और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत तीन वित्तीय वर्षों के अन्त की स्थिति के अनुसार ऋण और बकाया अग्रिमों में से, गत तीन वर्षों (अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95) के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों का प्रतिशत क्रमश: 0.41, 0.93 और 0.72 बैठता है।

(ग) और (घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर शोध्य ऋण राशियों की वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित स्थानों पर पांच ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं:-

	स्थान	स्थापना की तारीख
1.	अहमदाबाद	21.12.1994
2.	बैंगलूर	30.11.1994
3.	कलकत्ता	27.4.1994
4.	दिल्ली	05.07.1994
5.	जयपुर	22.08.1994

12.7.1994 को मुम्बई में एक अपीली अधिकरण भी स्थापित किया गया है। 16 नवम्बर, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड गठित किया गया है और यह तब से ही कार्य कर रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) 31.12.1995 तक ऋण वसूली अधिकरणों को स्थानांतरित किए गए कुल 5638 मामलों में से, जिनमें 3993.53 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है, 57 मामलों में 129.79 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है।

Cases of employment under die-in-harness scheme in United Bank of India

3016. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether United Bank of India, Calcutta has not yet settled certain cases of employment under die-in-harness scheme;

(b) whether series of representations have been pending and the bank is not taking action effectively on such issues;

(c) whether Government would now direct them to take effective action in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) United Bank of India has reported that the cases of all eligible persons for employment on compassionate grounds (Die-in-hamess Scheme) have been settled, as on date.